

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल नृपतुष्ठेश न्यायालियर सर्विट कोट रोवा, २०५०

क्रमांक ११५९-II-१५



उपर्युक्त अधिकारी
द्वारा देखा गया एवं
चाहा १५.३.१५

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| १ - वीरेन्द्र बहादुर सिंह | १ - पुत्रगण श्री लक्ष्मण बहादुर सिंह |
| २ - रावेन्द्र बहादुर सिंह | |
| ३ - सुरेन्द्र बहादुर सिंह | |
| ४ - शेर बहादुर सिंह | |
| ५ - प्रेम बहादुर सिंह | |
| ६ - राजकुमार सिंह | पुत्रकुमार रावेन्द्र बहादुर सिंह |
| ७ - गजय सिंह | |

लभी निवारीगण ग्राम रिमारी थाना पन्चायत जवा
जिला रोवा, २०५०

— आवेदकगण

बनान

छोटेलाल सिंह तनय गजाधार सिंह वा० रिमारी थाना पन्चायत जवा
जिला रोवा, २०५०

— लंगिवेदक

निगरानी बरह बादेश राजस्व निरीक्षक बृत्त
झोरा जो प०३० ४२/३/१२/१२-१३ में
प्रारित हुआ जाकर आवेदित छोटे वा० २६३
४१३ एवं ४१५ लिख्त ग्राम रिमारी के कथित
सीमांकन को पुष्टि की गई।
अर्जी वास्ते पुनर्स्थापित किये जाने निगरानी
प०३० R-18 III /14 को।

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा ३५२३२ म०५० रु० ००

१९२९ ई०

मान्यवर,

प्रार्थना पत्र के अधार निम्नालौचित है-

१:- यह कि उपत पुकरण बाज लौतम तर्क ऐतु खोरखल न० २३ मे
निवाल थी। जिसे अदम पैरवा मे। जो निरहा कर दिया गया है।

फूला: २०००

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. ३६०/१५७-दो/१५... जिला ग्वालियर

वीटेर व्हाइटलिस्ट / घोटेलाल राम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3.2.16	<p>रेस्टोरेशन ट्रेन ग्राहकों पर ओवेंजन आधिवक्ता के तर्क सुने गए। ओवेंजन के साथ-साथ तो रा. मे. के युव प्रकरण ओवेंशन ट्रेन के R 18/III/14 के उलारेजी ओवेंशन की प्रति, और नाई अधीनस्थ न्यायालय के किसी ओवेंशन की प्रति शोलगंज की गई है, जो कि शोलगंज होना आवश्यक है।</p> <p>इस के कारण ओवेंजन आग्रह किया जाता है।</p> <p>प्रकरण समाप्त। दो. ८. दो।</p> <p style="text-align: right;">(संदर्भ)</p>	